आदर्श आचरण संहिता के संबंध में प्रेक्षकगणों ने ली अभ्यर्थियों की बैठक

दुर्ग (निप्र) । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एस.बी. शेट्टेनवर आईएएस एवं लथकर श्रीकेश बालाजीराव आईएएस, पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा आईपीएस एवं व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पट्टनाशेट्टी (आईआरएस) ने संयुक्त रूप से आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला भी बैठक में सम्मिलित हुए। सामान्य प्रेक्षक बालाजी राव ने अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन के दौरान वे आदर्श आचरण संहिता का गंभीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सभी की सहभागिता की बाते कही। किसी प्रकार की समस्याएं होने पर वे सीधे प्रेक्षक को मोबाईल नंबर से संपर्क कर अवगत करा सकते हैं अथवा भिलाई निवास के बोर्ड रूम में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग की सी-विजिल एप का भी उपयोग करने की समझाईश दी। इसी प्रकार मतदान दिवस मतदान केन्द्र हेतु पोलिंग एजेंट और गणना हेतु काउंटिंग एजेंट नियुक्त कराने का भी सलाह दिया। पुलिस प्रेक्षक अनुपम शर्मा ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने की प्रक्रिया रही है। यहां पर

वल्लेवेरी या बाहुबल के आधार पर मतदान नहीं होता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से यदि ऐसे होने की संभावना होने पर लिखित शिकायत प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता का जिक्र करते हुए अभ्यर्थियों के साधारण आचरण, सभाएं, जुलूस एवं मतदान दिवस की गतिविधियों को रेखांकित किया।

उन्होंने अनुमति के लिए सुविधा एप का उपयोग करने तथा प्रथम आओ-प्रथम पाओ के अनुसार अनुमति प्राप्त करने की बातें कहीं। कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थी के नामांकन तिथि से ही उनका व्यय गणाना शुरू हो जाती है। 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 04 मई 2024 को अभ्यर्थियों के व्यय खाता की जांच होगी। उन्होंने कहा कि अपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। उन्होंने अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराये गये हैण्डबुक का भली-भांति अध्ययन करने कहा। अभ्यर्थियों को निर्वाचन कार्यालय से आवश्यक सुचनाएं वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। कलेक्टर चौधरी ने अवगत कराया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करे। अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। बैठक में अभ्यर्थियों के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया गया। एडीएम अरविन्द एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर एच.एस. मिरी, एसडीएम मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी और राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बीएसपी में क्वेस्ट ऑन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 27 को

भिलाई (निप्र) । इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों के ज्ञान और प्रबंधन कौशल को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है। इसी क्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा मासिक क्विज प्रतियोगिता %क्वेस्ट ऑन का आयोजन 27 अप्रैल शनिवार को एचआरडीसी विभाग के मुख्य सभागार में किया जा रहा है। संयंत्र के कर्मचारी इसमें भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। मासिक व्यवसाय और प्रबंधन प्रश्नोत्तरी %क्वेस्टऑन हर महीने के चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है और इसमें कार्यपालक अधिकारियों के साथ-साथ गैर कार्यपालकों की 2 सदस्यीय टीम भाग ले सकती हैं। इच्छुक प्रतिभागी, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 27 अप्रैल को एचआरडीसी सभागार (प्रतियोगिता स्थल) में उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रतिवर्ष सेल स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता समृद्धि, सक्षम तथा समर्थ का आयोजन किया जाता है। समृद्धि क्विज का आयोजन महिला कर्मचारियों के लिए किया जाता है, सक्षम कार्यपालक अधिकारियों के लिए और समर्थ गैर-कार्यपालकों के लिए आयोजित किया जाता है।

मतदान के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले को अव्वल बनाएं : मृणाल चौबे

राजनांदगांव (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं मतदाता जागरूकता अभियान राजनांदगांव के ब्रांड एंबेसडर मृणाल चौबे ने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं, जो भारत में रहते है। इस समय पूरे देश में मतदान दिवस मनाया जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनांदगांव जिला कला, संस्कृति, खेल सहित अन्य क्षेत्रों में अव्वल है। जिले के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान के क्षेत्र में भी राजनांदगांव जिले को अव्वल बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 को मतदान केन्द्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर राजनांदगांव जिले को मतदान के क्षेत्र में अव्वल बनाने का आग्रह किया है।

सहायक ग्रेड-3 मनीष ठाकुर निलंबित

राजनांदगांव (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्वाचन कर्तव्य में उपस्थित नहीं होने पर कार्यपालन अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग राजनांदगांव के सहायक ग्रेड-3 मनीष ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 मनीष ठाकुर की सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का डेशबोर्ड में सतत निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। परन्तु श्री ठाकुर लगातार अपने कर्तव्य में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें कर्तव्य में अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परन्तु श्री ठाकुर द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कर्तव्य पर उपस्थित हुए। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने के कारण और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मतदाता जागरूकता का संदेश देते दिव्यांगजनों ने बनाई आकर्षक पेंटिंग्स

धमतरी (निप्र)। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी के निर्देश एवं सीईओ जिला पंचायत तथा स्वीप जिला नोडल अधिकारी रोमा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जनसामान्य के मध्य मतदाता जागरूकता लाने के उददेश्य से स्थानीय मकई गार्डन में श्रवण बाधित, अस्थि बाधित तथा मानसिक दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाई गई ड्राईग एवं पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। दो दिवसीय इस पेंटिग प्रदर्शनी में अस्थिबाधित एवं मूकबधिर दिव्यांग चित्रकार गौकरण पाटिल के द्वारा अपने पैरों से मतदाता जागरूकता संबंधी पेंटिंग बनाया गया।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा दिव्यांग चित्रकार गौकरण पाटिल को शॉल, श्रीफल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी में शासकीय श्रवण बाधितार्थ बालिका विद्यालय धमतरी के मूकबधिर छात्राओं, सार्थक, गौरीशंकर श्रीवास्तव सेवा समिति धमतरी के मानसिक दिव्यांग बच्चे तथा एक्जेक्ट फाउंडेशन दिव्यांग आवासीय विद्यालय रूद्री के मूकबधिर छात्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उपस्थितों को मतदान की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर उप संचालक समाज कल्याण अखिलेश तिवारी, अधीक्षक शासकीय श्रवण बाधितार्थ बालिका विद्यालय सहित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अन्य अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में धमतरी शहर और आसपास के लोगों ने पेंटिंग्स का अवलोकन किया।

उप जेल बीजापुर में निरूद्ध बंदियो का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण

बीजापुर (निप्र)। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. अरविंद मरावी के निर्देशानुसार डॉ. सीताराम जेना, डॉ. ज्ञानेन्द्र परिहार, डॉ. ज्योति प्रकाश प्रधान सहित आयुष विभाग के टीम ने उप जेल बीजापुर में निरूद्ध बंदियों का स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधी प्रदान किया। उक्त शिविर के माध्यम से कुल 144 निरूद्ध बंदियों को योग प्राणायाम करवाया गया योग एवं प्राणायाम का महत्व बताया गया साथ ही 40 बंदियों का स्वास्थ्य जांच कर औषधी प्रदान किया गया।

भर्रीटोला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

मोहला (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं जिला स्वीप नोडल हेमंत ठाकुर के मार्गदर्शन में आज विकास खंड मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भर्रीटोला में विकासखंड स्तरीय स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिनमे रैली, मानव श्रृंखला, एवं शपथ कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत से हरूरू (बिहान दिदिया) सचिव, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं वन विभाग आदि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इसके अलावा संकुलों में छोटी-छोटी गतिविधि गांव स्तर पर इरागांव, जबकस, खरदी, खड़गांव, तेगर्द, देव कोड़े, अड़जाल सितागांव, औंधी, मानपुर, तुमड़ीकसा, बोडेगांव, शारदा, सेमरबांधा फुलकोड़ो, वाको आदि 16 से अधिक गावो में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

मतदाता पर्ची वितरण की कार्यवाही का अवलोकन

दुर्ग (निप्र) । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार आज ग्राम अंजोरा के मतदान केंद्र 33 व 34 में मतदाता पर्ची वितरण की कार्यवाही का अवलोकन सहायक रिटर्निंग अधिकारी 63 दुर्ग ग्रामीण मुकेश रावटे एसडीएम दुर्ग एवं उत्तम ध्रुव डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया गया। निरीक्षण के साथ-साथ कुछ मतदाताओं के घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया गया। मतदान करने के लिए अपील एवं प्रोत्साहित किया गया। मतदान के दिन मतदाता पर्ची के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, आधार कार्ड या फोटोयुक्त कोई भी पहचान पत्र (12 प्रकार) लेकर जा सकते है वोट करने के लिए। घर के सभी व्यस्क सदस्यों को जिनका नाम मतदाता सूची में है उनसे मतदान दिवस को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। 30 अप्रैल के पूर्व तक मतदाता पर्ची का वितरण पूर्ण कर लिया जाएगा। दुर्ग लोकसभा में 7 मई को मतदान दिवस निर्धारित है।

शारीरिक-मानसिक स्वस्थता और मजबूत आत्मबल के लिए योग जरूरीः कलेक्टर

दुर्ग (निप्र) । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश अनुसार ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों में बच्चों एवं आम जनता को योग प्रभारी द्वारा राजेंद्र पार्क में योगा सिखाया जा रहा है जिसमें बढ़-चढ़कर बच्चे,बुजुर्ग व युवा सहित लोग योगा सीखने आ रहे हैं। सुबह प्रतिदिन 5.30 से 7.30 वजे तक योग क्रि या निःशुल्क सिखाई और बताई जा रही है।

जिला योग प्रभारी ने शहर वासियों से अपील की है कि अपने बच्चों को ग्रीष्म ऋतु मे योगा सीखने हेतु भेजें क्योंकि योगा से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारी ठीक होती है और शरीर निरोग रहता है शरीर के निरोग रहने से मन भी निरोग रहता है इसलिए योगा बहुत जरूरी है और सभी लोगों को योगा करना चाहिए। आज आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने राजेन्द्र पार्क पहुँचकर योग किया साथ ही शहर की सफाई व अन्य व्यवस्था देखी।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पार्क के अंदर और भी बेहतर व्यवस्था बनाये रखने की बात कही।इस अवसर पर सहायक अभियंता व भवन अधिकारी गिरीश दीवान,स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली,उद्यान प्रभारी अनिल सिंह मौजूद रहें।योगा शिविर के अवसर पर आयुक्त ने शारीरिक-मानसिक स्वस्थता और मजबूत आत्मबल के लिए योग को जरूरी बताया है जिसमें प्रशिक्षक और योगाचार्य ने योग के महत्व व लाभ के बारे में जानकारी दी। निशुल्क राजेन्द्र पार्क में विभिन्न मुद्राओं में योगासन कराये गये।

चुनाव लडने़ वाले के लिए 95 लाख रूपए तक का किया गया है प्रावधान

दुर्ग (निप्र) । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पत्तनसेठ्ठी की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निर्वाचन लडने़ वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना ने जानकारी दी कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सहायक व्यय प्रेक्षक एवं लेखा टीम नियुक्त किया गया है, जो निर्वाचन के दौरान व्यय से संबंधित समस्त गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक ऋषभ जैन ने प्रशिक्षण में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लडने़ वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय हेतु अधिकतम 95 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधानों और उम्मीदवारों के बैंको से संबंधित जानकारी, अभ्यर्थी द्वारा पृथक से खाता खोलने, खाते का रख-रखाव एवं चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, चुनाव उपरांत उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में शपथ पत्र एवं सभी वाउचरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही चुनावी नियमों की अवहेलना की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

इन प्रावधानों के तहत नियम 10(क) व्यय का लेखा दाखिली निर्धारित समय सीमा विहित प्रारूप में लेखा जमा नहीं किया जाएगा तो आयोग द्वारा आदेश दिनांक से 3 वर्ष हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। नियम 78 के तहत व्यय लेखा का दाखिला चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर डीईओ के समक्ष लेखा जमा करना अनिवार्य होगा। यदि स्टार प्रचारक के पार्टी प्रचार के विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसार इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के द्वारा किया जाता है तो यह पार्टी व्यय होगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर/विमान मे यात्रा करते हैं, तो हेलीकॉप्टर/विमान का खर्च का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी के खाते में जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ सभा में मंच साझा करते हैं, तो सभा का सभी खर्च अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखा में सम्पूर्ण विवरण यथा दिनांक, राशि, नाम, पता, बिल न. होना चाहिए। प्रत्येक वाउचर को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। सभी वाउचर का पेमेंट तिथिवार, क्रमानुसार दिनांकित करके व्यवस्थित संधारण करना होगा।

प्रदत्त व बकाया राशि दोनों स्थितियों में प्रतिदिन रजिस्टर के भाग एक प्रविष्टि की जानी होगी। सहायक व्यय प्रेक्षक जैन ने बताया कि निर्वाचन व्यय के वीक्षण और लेखांकन के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण राशि इसमें जमा की जानी है तथा इसी खाते से ही पेमेंट किया जाना होगा। सभी पेमेंट इसी खाते से चेक/ड्राफ्ट/नेफ्ट/आनलाईन के माध्यम से किया जाना होगा। आपवादिक स्थिति में पूरे चुनाव के दौरान 10 हजार तक मात्र ही किसी व्यक्ति/फर्म को नगदी पेमेंट किया जा सकेगा। यह नकदी इसी खाते से निकालकर किया जाएगा। अभ्यर्थी की जिम्मेदारी रहेगी कि वह या उसके एजेंट और कार्यकर्ता चुनाव के दौरान 50 हजार से अधिक कैश नही रखेंगे। प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर महेश राजपूत, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. दिवाकर सिंह राठौर सहित निर्वाचन लडने़ वाले अभ्यर्थी शामिल हुए।

गरियाबंद के ओढ़-आमामोरा मतदान केन्द्र के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए दल

दोनों मतदान केन्द्रों में 1 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

गरियाबंद (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान दिवस के दो दिन पूर्व संवेदनशील एवं दूरस्थ मतदान केन्द्रों के लिए दो मतदान दलों को बुधवार 24 अप्रैल को ही रवाना कर दिया गया है। जबकि शेष सभी मतदान दलों को गुरूवार 25 अप्रैल को रवाना किया जायेगा।

कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार गोलछा की मौजूदगी में बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केन्द्र आमामोरा-77 एवं ओढ़-78 के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। बुधवार सुबह 11 बजे पुलिस परेड ग्राउंड से दोनों मतदान केंद्र के लिए सुरक्षाधिकारी एवं मतदान दल सहित 16 सदस्यों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। जहां सुबह 11:20 बजे मतदान दल सुरक्षित पहुंच गया। इन दोनों मतदान केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। उल्लेखनीय है कि इन दोनों मतदान केन्द्रों में मतदान कराने के लिए युवा मतदान अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आमामोरा-77 के मतदान केन्द्र पर कुल 747 मतदाता है, इनमें 375 महिलाएं एवं 372 पुरूष मतदाता शामिल है। इसी प्रकार ओढ़-78 मतदान केन्द्र पर कुल 330 मतदाता है, इनमें 172 महिलाएं एवं 158 पुरूष मतदाता शामिल है। कलेक्टर अग्रवाल ने इससे पूर्व मतदान अधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को गुलदस्ता भेंटकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की बात कही। साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने जिले में निष्पक्ष, निर्विघ्न व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आम मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा

दुर्ग (निप्र) । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई और इसमें दुर्ग लोकसभा सीट के तहत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र और 3 आंशिक विधानसभा क्षेत्रों की गतिविधियों को शामिल किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुचारू एवं सफल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शुरू से ही प्रभावी तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और परेशानी मुक्त तरीके से कराने के लिए समन्वय से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक नागरिक का मतदान सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि गर्मी का विशेष ध्यान रखते हुए पेयजल, छाँव में बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आवश्यकता पडने़ पर 1000 से अधिक मतदाता वाले केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। बैठक में चुनाव तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दलों की तैनाती और वापसी, मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण, डाक मतपत्र, ईवीएम और वीवीपैट मशीनें और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि जिले में मतदान जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लगातार नागरिकों को मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन एवं मतदान केंद्रों की तैयारियों से संबंधित जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आश्वस्त किया साथ ही कलेक्टर चौधरी ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर पर्ची बांटने निर्देशित किया ताकि कोई भी मतदाता वोट देने से न चुके। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे, सीईओ जिला पंचायत अश्विनी देवांगन, संयुक्त कलेक्टर हरिवंश मिरी, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम पाटन दीपक निकुंज, एसडीएम धमधा सोनल डेविड एवं एसडीएम प्रफुल्ल कुमार उपस्थित थे।

शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने किया डाक मतपत्र से मतदान

लाईन में लगकर सबने अपनी बारी का किया इंतजार

राजनांदगांव (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 51 में अनिवार्य सेवा मतदाताओं के लिए सुविधा केन्द्र बनाया गया है। जिला कार्यालय में बने सुविधा केन्द्र में लोकसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जा रहा है। आज अनिवार्य सेवा मतदाताओं ने लाइन में लग कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान 24 अप्रैल तक किया जाएगा। पुलिस विभाग के उप निरीक्षक श्री पल्लूराम सोरी ने बताया कि उनकी ड्यूटी सेक्टर अधिकारी के रूप में बेमेतरा में लगी है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगने के कारण कलेक्टोरेट में बने सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनने का मौका 5 वर्ष में मिलता है। इसका लाभ सभी को मतदान कर उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने आज मतदान किया है। उन्होंने जिले के नागरिकों से 26

अप्रैल को मतदान केन्द्रों में जाकर वोट देने की अपील की। इसी तरह अनिवार्य सेवा में नियुक्त पुलिस विभाग के हेमंत कुमार वर्मा, आरक्षक खोमलाल साहू, उत्तम कुमार पटेल ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है। शिक्षा विभाग भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में पदस्थ खिलेन्द्र साहू ने बताया कि उनकी ड्यूटी कांकेर जिले में मतदान अधिकारी-2 में लगी है। वे कलेक्टोरेट में स्थित सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मतदान कर अपनी जिम्मेदारियों के साथ कर्तव्यों का निभाया है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को 26 अप्रैल को मतदान केन्द्र में पहुंचकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।अनिवार्य सेवा में लगे ड्राइवर उमेन्द्र सिंह, राजेश यादव, कमलेश सिंह, कपिल नेताम, रामाधार ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया। उमेन्द्र सिंह, राजेश यादव, कमलेश सिंह, कपिल नेताम, रामाधार, अशोक साहू ने बताया कि वे स्कूली वाहन चलाते हैं। जिनकी ड्यूटी निर्वाचन के अंतर्गत वाहन चालक के रूप में लगी है। ड्राइवर ने बताया कि निर्वाचन कार्य के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर मिला है। उल्लेखनीय है कि जिला कार्यालय कलेक्टर परिसर राजनांदगांव कक्ष क्रमांक 51 में लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन दायित्व से जुड़े मतदान दलों, सेक्टर आफिसर, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर अन्य जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा प्रदाय की गई है।